जनगणना कार्य निदेशालय, हरियाणा

राजभाषा हिन्दी

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों की सूची

1	प्रेरणा पुरी, निदेशक	अध्यक्ष
2	एस.सी.एल.मीणा, संयुक्त निदेशक	सदस्य
3	पुनीत मेहरोत्रा, उपनिदेशक	सदस्य
4	सतीश कुमार, सहायक निदेशक	सदस्य
5	रूचि गुप्ता, सहायक निदेशक	सदस्य
6	हरिश बाबू माथुर, सहायक निदेशक	राजभाषा अधिकारी
7	ओम प्रकाश, सां.अ.ग्रेड-I	सदस्य
8	कविता पांचाल, सां.अ.ग्रेड-I	सदस्य
9	हरि सिंह बिजारनिया, सां.अ.गेड-I	सदस्य
10	दिनेश कुमार रैगर, सां.अ.ग्रेड-I	सदस्य
11	कृष्ण कुमार, सां.अ.ग्रेड-I	सदस्य
12	नवीन कुमार, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य
13	अमर चन्द, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य
14	रविन्द्र सिंह, भूगोलवेत्ता	सदस्य
15	पिंकी धनखड़, अवर श्रेणी लिपिक	सदस्य सचिव

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

निदेशालय में राजभाषा के अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है जिसके तहत सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएँ, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसदीय प्रश्न आदि द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाते हैं।

राजभाषा नियम 1976 का अनुपालन

इस निदेशालय में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(4) और धारा 8 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करने के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

नियम 5 का अनुपालन

निदेशालय में हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाता है। इस प्रकार राजभाषा नियम 5 का नियमित रूप से पालन किए जाने के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

नियम 8(4) का अनुपालन

निदेशालय में राजभाषा नियम 8(4) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाता है जिसके तहत प्रतिवर्ष निदेशालय के अध्यक्ष द्वारा हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी स्टाफ सदस्यों को सम्पूर्ण कार्य हिंदी में ही करने के व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाते हैं।

नियम 11 का अनुपालन

निदेशालय में सभी प्रकार के फार्म, नामपट्ट, बैनर, निमंत्रण पत्र, मोहरें इत्यादि द्विभाषी रूप में छपवाई गईं हैं। अतः राजभाषा, नियम 11 का अनुपालन करने के पूर्ण प्रयास किए जाते हैं।

राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति

निदेशालय में राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए वार्षिक कार्यक्रमों में दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जिनकी सूची निम्न प्रकार से है:-

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकेः-

वर्ष के दौरान निदेशालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही बैठकें आयोजित की जातीं हैं तथा इन बैठकों की अध्यक्षता विभागीय राजभाषआ कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जिसमें राजभाषा नीति के नियमों का पालन करने के बारे में समीक्षा करके इन्हें कड़ाई से लागू करने के लिए विभागीय राजभाषा समिति के सदस्यों को आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए जाते हैं।

(ख) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट को निर्धारित समय पर राजभाषा विभाग को भेजनाः-

निदेशालय में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित रिपोर्ट तैयार की जाती हैं जिसे प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर राजभाषा विभाग को भेजना होता है। निदेशालय में यह रिपोर्ट समय पर तैयार करली जाती है और तिमाही की समाप्ति के बाद 15 दिनों के अंदर राजभाषा विभाग को भेज दी जाती है।

(ग) हिंदी प्रोत्साहन योजना लागूः-

हिंदी में मूल टिप्पण, आलेखन आदि की मासिक प्रोत्साहन योजना को निदेशालय में नियमित रूप से लागू किया गया है। माह के दौरान हिंदी में मूल कार्य करने वाले कर्मचारी को "मासिक हिंदी प्रोत्साहन सम्मान" पुरस्कार विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है।

(घ) हिंदी पखवाड़े का आयोजनः-

निदेशालय में प्रतिवर्ष 14 सितंबर से हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत पखवाड़े के प्रथम दिन हिंदी दिवस एवम् उद्घाटन समारोह का आयोजन कार्यालय के मुख्य द्वारा पर बैनर लगाकर किया जाता है जिसमें माननीय गृह मंत्री जी के संदेश को पढ़कर सुनाया जाता है। तथा हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएँ यथा-सुलेख, निबंध, श्रुतिलेख, शब्द ज्ञान परीक्षण व प्रश्नोत्तरी (क्विज), टिप्पण व प्रारूपण (नोटिंग व डॉफ्टिंग), सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता (मौखिक), चित्र बनाना, हिंदी टंकण एवम् कविता सुनाना इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सितंबर माह के अंत में हिंदी पखवाड़े के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें किसी माननीय अतिथि वक्ता को आमंत्रित किया जाता है। माननीय अतिथि के व्याख्यान के बाद उक्त प्रतियोगिताओं के विजेताओं को विभागीय अध्यक्ष द्वारा नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

(ड) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजनः-

निदेशालय में प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को दो घंटे की मासिक एवं प्रत्येक तिमाही में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। जिसमें राजभाषा हिंदी क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ अतिथि को आमंत्रित किया जाता है। वर्ष में लगभग सभी स्टाफ सदस्यों को एक बार हिंदी कार्यशाला में नामित अवश्य किया जाता है। कार्यशाला में स्टाफ सदस्य उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं तथा अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित होते हैं।

(च) कंप्यूटरों का द्विभाषीकरणः-

निदेशालय के प्रत्येक कंप्यूटर में हिंदी का यूनिकोड फोंट इनस्टॉल किया गया है। जिससे स्टाफ सदस्य अपना कार्य हिंदी या अंग्रेजी दोनों में कर सकते हैं।

(छ) नराकास की बैठकों में निदेशालय का प्रतिनिधित्वः-

राजभाषा विभाग द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) का गठन किया है। निदेशालय चंडीगढ़ नराकास का एक सदस्य है। इसकी बैठकों में निदेशालय से विभागीय समिति के अध्यक्ष नियमित रूप से भाग लेते हैं। निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष रू.4,000/- का अंशदान भी दिया जाता है तथा निदेशालय नराकास को राजभाषा हिंदी की छमाही एवं वार्षिक रिपोर्ट भी भेजता है।

(ज) हिंदी पत्राचार की स्थितिः-

निदेशालय ने राजभाषआ हिंदी के कार्य में शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। प्रत्येक तिमाही का हिंदी पत्राचार शत-प्रतिशत हो रहा है। क्योंकि हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में ही दिया जाता है तथा अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का जवाब भी हिंदी में दिया जाता हैं।